

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

08.09.2023

वाद सं०-34 / 2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो०-औँरा, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बगोदर, डॉ श्री राकेश कुमार आयोग कार्यालय में उपस्थित।

प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बगोदर ने आयोग को एक प्रतिवेदन भेजा है जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन के शिकायतों को बेबुनियाद बताया है, जबकि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर कायम हैं। अतः आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि वो इस वाद के सभी दस्तावेजों के साथ दिनांक-03.10.2023 को आयोग में उपस्थित रहें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश देता है कि वो दिनांक-03.10.2023 को सुनवाई में उपस्थित होकर शिकायतकर्ता के शिकायतों का निदान हो जाने का प्रमाण पेश करे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-03.10.2023 को निर्धारित की जाती है।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक-03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-03.10.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।